न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बाप, फलोदी

पीठासीन अधिकारी :— सुखाराम पिण्डेल (आर.ए.एस.)

राजस्व प्रकरण संख्या :— 237 / 2024 **जी.सी.एम.एस. नम्बर :— 2024 / 334**
दायर दिनांक :— 01.10.2024 **निर्णय दिनांक :— 18.11.2024**

1. जोरावरसिंह पुत्र गायड़सिंह जाति राजपूत निवासी मिठड़िया तह. घंटियाली जिला फलोदी

—प्रार्थी

बनाम्

1. तहसीलदार घंटियाली तहसील घंटियाली जिला फलोदी

—अप्रार्थी

राजस्व प्रार्थना—पत्र अन्तर्गत धारा 251ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थित :—1. श्री राजेन्द्रसिंह सोंलकी अधिवक्ता प्रार्थी
2. पैरोकार सरकार तहसीलदार घंटियाली

—:निर्णय:—

अधिवक्ता प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम इस आशय से पेश किया है कि ग्राम मिठड़िया पटवार क्षेत्र मिठडिया तहसील घंटियाली में प्रार्थी की खातेदारी अधिकारों की काश्त भूमि खसरा नम्बर 83 रकबा 46.9920 हैक्टेयर स्थित है। प्रार्थी का उक्त भूमि पर आज दिन तक लगातार शान्तिपूर्वक कब्जा काश्त चला आ रहा है। प्रार्थी ने उक्त भूमि पर रहवासीय ढाणी, पानी के टांके, पशुओं के बाड़े इत्यादि बना रखे है और प्रार्थी अपने परिवार सहित बारह मास निवास करता आ रहा है नकल जमाबंदी, नक्शा ट्रेस संलग्न प्रार्थना पत्र पेश है। प्रार्थी की उक्त खातेदारी अधिकारों भूमि के चिपती अप्रार्थी की भूमि खसरा नम्बर 82 रकबा 0.9227 हैक्टेयर भूमि ग्राम मिठडिया पटवार क्षेत्र मिठडिया तहसील घंटियाली जिला फलोदी में आई हुई है। जिसके पास से डामर सड़क निकलती है जो ग्राम मिठडिया से मयाकोर तक जाती है। प्रार्थी के खेत खसरा नम्बर 83 रकबा 46.9920 हैक्टेयर की भूमि में आने जोन हेतु अप्रार्थी की भूमि खसरा नम्बर 82 रकबा 0.9227 हैक्टयेर में आना जाना पड़ता है, प्रार्थी को आने जाने हेतु उक्त रास्ते के आलावा अन्य कोई मार्ग उपलब्ध नहीं है तथा प्रार्थी द्वारा पूर्व में अप्रार्थी की भूमि में से आने जाने हेतु रास्ते का उपयोग लिया जा रहा था। लेकिन अब वर्तमान में अप्रार्थी के प्रतिनिधि ने पूर्व में उपयोग लिये जा रहे रास्ते को बंद करने करने पर उतारू है। वर्तमान में प्रार्थी को अपनी भूमि में आने जाने हेतु अन्य कोई रास्ते का विकल्प उपलब्ध नहीं है। अप्रार्थी की भूमि में से डामर सड़क जो मौके पर मिठडिया से मयाकोर जाती है जिस डामर सड़क तक पहुंच के प्रार्थी को यह प्रार्थना पत्र नये रास्ते की घोषणा हेतु प्रस्तुत करना पड़ रहा है।

प्रार्थना पत्र पेश होने पर सिगेदार की रिपोर्ट ली गयी व प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया और अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी तहसीलदार घंटियाली ने मौका रिपोर्ट पेश की जो शामिल पत्रावली की गई।

18.11.24
सहायक कलेक्टर
(फलोदी)

विचाराधीन प्रकरण प्रकरण में राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) नियम 1955 के नियम 69 के प्रावधानों के अन्तर्गत तहसीलदार घंटियाली से निर्धारित प्रपत्र में रिपोर्ट ली गई रिपोर्ट व मौका फर्द अनुसार –

1. प्रार्थी वर्तमान में अस्थाई तौर पर खसरा नंबर 83 में आने जाने हेतु रास्ता खसरा नंबर 82 के किनारे से उपयोग में ले रहे है जो कि स्वीकृत शुदा नहीं है।
2. खसरा नंबर 83 के निकटतम खसरा 82 के चिपती डामर सड़क मिठडिया से मयाकोर तक है।
3. यदि खसरा नंबर 82 में से रास्ता दिया जाता है तो 640 वर्ग मीटर यानि 0.064 हैक्टेयर भूमि रास्ते में आती है जो सबसे निकटतम व सुविधाजनक होगी।

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251–क के प्रार्थना पत्र के निस्तारण हेतु निम्नांकित बिन्दुओं का विवेचन किया गया –

1. रास्ते की आत्यांतिक आवश्यकता।
2. वैकल्पिक रास्ते की आवश्यकता।
3. नया मार्ग लघुतम रूट से हो।

बहस अधिवक्ता प्रार्थी सुनी गयी, पत्रावली में संलग्न जमाबंदी, नजरी नक्शा, तहसीलदार घंटियाली की रिपोर्ट आदि का अवलोकन किया गया रास्ते की आत्यांतिक आवश्यकता, वैकल्पिक रास्ते के मध्यनजर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

क्रियात्मक आदेश

उपर्युक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर ग्राम मिडड़िया तहसील घंटियाली के खसरा नंबर 82 रकबा 0.9227 हैक्टेयर में से मौका फर्द के संलग्न नजरी नक्शानुसार 640 वर्ग मीटर यानि 0.064 हैक्टेयर भूमि का रास्ता स्वीकृत किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में गैर मुमकिन रास्ता का अकंन किया जाकर मौके पर रास्ता चालू करवाये जाने के आदेश दिये जाते है। उक्त स्वीकृत रास्ते की एवज में अप्रार्थी को डीएलसी की दुगनी दर से प्रतिकर देय होगा जिसकी गणना तहसीलदार घंटियाली द्वारा करवाई जावेगी। प्रार्थी द्वारा उक्त राशि राजकोष में जमा करवाये जाने के उपरांत गै.मु.रास्ते का अकंन राजस्व रिकॉर्ड में किया जावेगा। मौका रिपोर्ट के संलग्न नजरी नक्शा निर्णय का अभिन्न अंग होगा। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 18.11.2024 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुखाराम पिण्डेल आर.ए.एस.)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बाप (फलोदी)